भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त का कार्यालय सीज़्न विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India Ministry of Commerce & Industry, Office of the Developement Commissioner, SEEPZ-Special Economic Zone, Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

फ़ाइल नं:- SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/09874

दिनांक:-25.07.2025

सार्वजनिक नोटिस/Public Notice:- 9/2025

विषय: कर्मचारी परिवहन बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइसेज़ की स्थापना की समयसीमा में विस्तार **Subject:** Extension of Deadline for Installation of Face Detection Devices in Employee Transport Buses

यह सभी संबंधित इकाइयों को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को जारी सार्वजिनक सूचना संख्या 06/2025 के अनुसार, कर्मचारी परिवहन बसों में फेस डिटेक्शन डिवाइस की अनिवार्य स्थापना के निर्देश दिए गए थे। 24.07.2025 को बस सेवा संचालित करने वाली इकाइयों के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पहले निर्धारित अंतिम तिथि गुरुवार, 24.07.2025 को अब बढ़ाकर गुरुवार, 07.08.2025 कर दिया गया है।

This is to inform all concerned units that, as per the directive issued by the Competent Authority in Public Notice No. 06/2025 dated 18.07.2025, regarding the mandatory installation of face detection devices in employee transport buses, and following the meeting held with units operating bus services on 24.07.2025, the earlier deadline of Thursday, 24.07.2025 has now been extended to Thursday, 07.08.2025.

कोई भी बस जिसमें 07.08.2025 तक फेस डिटेक्शन डिवाइस स्थापित नहीं किया गया है, उसे SEEPZ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, और वह कर्मचारियों के परिवहन के लिए अयोग्य मानी जाएगी, जब तक कि डिवाइस की स्थापना नहीं की जाती।

सभी इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना विलंब के सभी कर्मचारी परिवहन वाहनों में फेस डिटेक्शन डिवाइस की स्थापना सुनिश्चित करें। Any bus without a face detection device installed by 07.08.2025 will not be permitted entry into the SEEPZ premises for the purpose of transporting employees until the required device has been installed.

All units operating employee transport buses are hereby instructed to complete the installation of face detection devices in all such vehicles without further delay.

(मयूर मानकर)

संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़

प्रति,

- सभी द्वार प्रभारी
- सभी सीप्ज़ सुरक्षा रक्षक
- सभी इकाइयाँ जिनके पास बस सेवाएँ हैं